


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  वाद पत्र संख्या 118/2021 GCMS NO. 2021/578  उनवानी संजूदेवी आदि बनाम दशरथसिंह आदि  अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस  हुकम की तामील  में जारी हुए</p>
<p>29.07.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। उभय पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही उभय पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादीगण का हस्तगत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p></p> <p>(सविता शर्मा)  उपखण्ड अधिकारी एवं  पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  जिला नीमकाथाना (राज0)  <b>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</b></p>

